


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेशः

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 20439/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 03.12.2019 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 13.12.2019 द्वारा श्री मनोज कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि टहटडा, रैणी जिला अलवर को दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर में दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात् विभागीय आदेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा श्री मनोज कुमार शर्मा को माननीय न्यायालय निर्णयाधीन राउमावि-मुसेपुर जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री मनोज कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन याचिका संख्या 20439/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भजेडा, राजगढ जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर (दिनांक: 01.02.2020 से प्रभावी) किया जाता है।


(हिमांशु गुप्ता) 21/01
आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/सरोज/20439/2019 दिनांक: 21-01-2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/पाली संभाग, जयपुर/पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/जालौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर/जालौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री मनोज कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)